

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.ईसीआई/प्रे.नो./53/2016

दिनांक: 29 जून, 2017

## प्रेस नोट

**विषय:** अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड की राज्य विधान सभाओं की आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची-तत्संबंधी।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों की राज्य विधान सभाओं में निम्नलिखित स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है

क्र.सं.	राज्य	विधान सभा क्षेत्र का नाम और संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	12-पक्के केस्संग (अ.ज.जा.) वि.स.क्षे.
2.	नागालैण्ड	10-उत्तरी अंगामी-1 (अ.ज.जा.) वि.स.क्षे.

स्थानीय त्यौहारों, निर्वाचन नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन करने का निर्णय लिया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम	तारीख
1.	अधिसूचना जारी करना	05-07-2017 (बुधवार)
2.	नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख	12-07-2017 (बुधवार)
3.	नामनिर्देशन की समीक्षा	13-07-2017 (बृहस्पतिवार)
4.	अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख	15-07-2017 (शनिवार)
5.	मतदान की तारीख	29-07-2017 (शनिवार)
6.	मतों की गणना	03-08-2017 (बृहस्पतिवार)
7.	तारीख जिससे पहले निर्वाचन समाप्त हो जाएगा	05-08-2017 (शनिवार)
8.	मतदान का समय	07.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक

## निर्वाचन नामावली

01-01-2017 के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड की निर्वाचन नामावली क्रमशः 11-01-2017 और 10-01-2017 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। राज्यों में उप-निर्वाचन मौजूदा नामावलियों के साथ आयोजित किए जाएंगे।

## इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम का प्रयोग करने का निर्णय लिया है, ईवीएम पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों के साथ मतदान निर्विघ्न रूप से संचालित किए जाएं।

### **मतदाताओं की पहचान**

विगत प्रथा के प्रारूप आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। इलेक्टोरल फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, यदि उसका नाम निर्वाचन सूचियों में दिया गया हो, उक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे,

### **आचार संहिता**

आयोग के दिनांक 26 अप्रैल, 2012 के अनुदेश सं 437/अनु/2012/सीसी एवं बीई के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यक्षीन आचार संहिता उन जिलों में तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)/आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों के लिए लागू होगी। आचार संहिता संबंधित राज्यों की संघ सरकार के लिए भी लागू होगी।

**(सुमित मुखर्जी)**  
सचिव